राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

विषयः-राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करवाने की आवश्यक कार्यवाही करवाने के संबंध में।

सन्दर्भः-आपकी अशा0 पत्रांकः- मु.मं./संयु.स.(एस.एस.)/गृह/2024/2743 दिनांक 02.10.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित अशा0 टीप के क्रम में उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा, 2021 के प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः-

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति संख्या-08/परीक्षा/SI-PC/EP-I/2020-21 दिनांक 03.02.2021, शुद्धि पत्र संख्या-02/2021-22 दिनांक 07.06.2021 के क्रम में उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के कुल 859 पद विज्ञापित किये गये एवं आयोग द्वारा प्रेषित चयन सूची के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने आवश्यक औपचारिकता पूर्ण किये जाने उपरांत नियुक्ति प्रदान करते हुए, प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया गया।

2. राज्य सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की जाँच करने एवं आगामी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री विजय कुमार सिंह, आईपीएस की अध्यक्षता में दिनांक 16.12.2023 को एसआईटी का गठन किया।

3. एसओजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2024 अन्तर्गत धारा 419, 420, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 3, 4, 5 सपठित धारा 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 एवं धारा 66 डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसंधान के उपरांत यह पाया कि उक्त परीक्षा में काफी बडी संख्या में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इस परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से लाभान्वित सभी प्रशिक्षुओं एवं चयनित योग्य प्रशिक्षुओं को अलग-अलग चिन्हित किया जाना असंभव है।

4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने पत्र क्रमांक डीजीपी/पीएस/2024/ 447 दिनांक 22.08.2024 के द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एण्ड एसओजी और अध्यक्ष, एसआईटी के उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा, 2021 को रद्द करने संबंधी अनुशंषा से सहमत होते हुए एसआईटी की रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक एडीजीपी/एपीएस/गो.प./2024/177-180 दिनांक 13.08.2024 गृह विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित की।

5. एसआईटी द्वारा की गई अनुशंषा निम्नानुसार हैः-
   1. उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा, 2021 को निरस्त किया जाए। परीक्षा निरस्त करने के साथ ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो।
   2. इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को ही कम से कम 3 महीने का समय देकर पुनः परीक्षा का आयोजन कराया जाये। उम्र में छूट देने की भी अनुशंषा है।
   3. वर्तमान में प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक नई भर्ती परीक्षा में असफल रहते हैं तो उन्हें उम्र में छूट देकर अगली भर्ती परीक्षा में एक अतिरिक्त अवसर दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

6. राज्य सरकार द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा की गई उक्त अनुशंषा एवं इस संबंध में एसआईटी द्वारा पेश रिपोर्ट को विधिक राय हेतु महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को प्रेषित किया गया, जिस पर महाधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.09.2024 को उक्त भर्ती प्रक्रिया को रद्द किये जाने के संबंध में राय प्रदान की गई हैं।

7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा की गई उक्त अनुशंषा एवं इस संबंध में एसआईटी द्वारा पेश रिपोर्ट के संबंध में महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से प्राप्त राय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने पर, उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा, 2021 के संबंध में परीक्षण करने तथा संबंधित एजेंसियों/अधिकारियों से चर्चा कर, कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(3)मं.म./2024-01493 पार्ट दिनांक 01.10.2024 द्वारा निम्नांकित मंत्रीगण की समिति का गठन किया गयाः-

1.	श्री जोगाराम पटेल, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग	अध्यक्ष/संयोजक
2.	श्री गजेन्द्र सिंह, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य

3.	श्री सुमित गोदारा, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग	सदस्य
4.	श्री बाबूलाल खराड़ी, माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सदस्य
5.	श्री जवाहर सिंह बेढ़म, माननीय राज्य मंत्री, गृह विभाग	सदस्य
6.	डॉ. मंजू बाघमार, माननीय राज्य मंत्री, सा.नि.वि. विभाग	सदस्य

8. उक्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 07.10.2024 एवं द्वितीय बैठक दिनांक 10.10.2024 को सम्पन्न हुई। द्वितीय बैठक में प्रमुख शासन सचिव, विधि, शासन सचिव, कार्मिक विभाग एवं सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी आमंत्रित किया गया।

9. उक्त समिति द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक, एटीएस एण्ड एसओजी, राजस्थान एवं अध्यक्ष, एसआईटी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से ली गई राय - दोनों का अवलोकन व मनन किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा, 2021 के संबंध में निम्नानुसार अनुशंषा की गई हैं:-

1. अध्यक्ष, एसआईटी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान की अभिशंषा से समिति सहमत है।
2. समिति के समक्ष प्रस्तुत समस्त तथ्यों विशेषकर महाधिवक्ता की राय के मध्यनजर उक्त भर्ती परीक्षा जो प्रारंम्भ से ही दूषित सिद्ध हो रही है, जहाँ अनुचित साधनों के प्रयोग से उप निरीक्षको की भर्ती की गई एवं अयोग्य अभ्यर्थियों को चुना गया है। वे अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस का ध्येय **"आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय"** को सही रूप से चरितार्थ नहीं कर पायेगें।
3. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हेतु पारदर्शी एवं स्वच्छ छवि वाले कार्मिक ही चयनित हो, ऐसी अपेक्षा राज्य की जनता व राज्य सरकार करती है। जो कि वर्तमान परिस्थिति में उक्त भर्ती में चरितार्थ नहीं हो रही है।

अतिरिक्त महानिदेशक, एटीएस एण्ड एसओजी, राजस्थान एवं अध्यक्ष, एसआईटी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को उक्त परीक्षा निरस्त किये जाने की जो अनुशंषा की गई है तथा जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने सहमति प्रदान की है, को समिति द्वारा भी सही माना जाकर, समस्त तथ्यों पर गहनता से चिन्तन एवं मनन करने के पश्चात् उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा, 2021 को निरस्त करने की अभिशंषा की गई है। साथ ही, समिति द्वारा यह अपेक्षा भी की गई है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्व में आयोजित उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा, 2021 में समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित करते पुनः भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा।

समिति द्वारा की गई उक्त अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई हैं।

(कश्मी कौर)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

संयुक्त सचिव,
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कार्यालय
क्रमांकः प. 2(26)गृह-1/2021
जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः-निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को अशा० टीप क्रमांक **मंत्री/कृषि.उ./ग्रावि./आ.प्र.स.ना.सु./ज.अ.नि./2024/4687 दिनांक** 30.09.2024 के क्रम में **सूचनार्थ प्रेषित है।**

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Document certified by KASHMI KAUR RAAN <js.oh@rajasthan.gov.in>.
Digitally Signed by Kashmi Kaur Raan
Designation : Joint Secretary To Government
Date :10-12-2024 03:27:58

RajKaj Ref No 12320381